रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

S.S
17.1.72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 1971 (अग्रहायण 20, 1893)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1971 (AGRAHAYANA 20, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1019
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1785
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1443
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	4997
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	6371
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	1021
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1643
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	451
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	183
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	2443
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	231
पूरक संख्या 49—	
27 नवम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	2067
6 नवम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	2077

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1019
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1785
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1443
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4997
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	6371
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	1021
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1643
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	451
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	183
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2443
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	231
SUPPLEMENT No. 49—	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 20th November 1971	2067
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week end 6th November 1971	2077

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रीमंडल सचिवालय

कार्मिक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर, 1971

सं० 6/54/71-के० से० (1)—निम्नलिखित क्रमशः वर्ग 1 और वर्ग 2 के अन्तर्गत उल्लिखित सेवा/पदों, में निर्मुक्त आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के बाद लेकिन 10 जनवरी, 1968 के पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन मिला था, और (2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां को भरने के लिए उनके चयन हेतु सन् 1972 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

वर्ग-1

श्रेणी-II की सेवाएं/पद

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) में (सहायक) का सामान्य काडर ग्रेड I

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड I

(iii) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक ग्रेड, और

(iv) निर्वाचित आयोग के कार्यालय, दिल्ली, में सहायक के पद

(v) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, के कार्यालय, दिल्ली, में सहायक के पद,

(vi) संसदीय कार्य विभाग, दिल्ली, में सहायक के पद,

(vii) पर्यटन विभाग, दिल्ली, में सहायक के पद, और

(viii) भारत सरकार के अन्य विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भाग नहीं लेते हैं, सहायक के पद।

वर्ग-2

श्रेणी-III सेवाएं/पद

(i) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा-ग्रेड 1 (सहायक), और

(ii) अनुसंधान, रूपरेखा और मानक संगठन निदेशालय, लखनऊ, में सहायक के पद, और

(iii) भारत सरकार के अन्य विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में, जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में भाग नहीं लेते हैं, सहायक के पद ।

नियम-2 के उपबन्धों के अधीन कोई उम्मीदवार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगी हो सकता है । उम्मीदवार जिन सेवाओं/पदों के बारे में वह चाहता है कि उस पर विचार किया जावे, उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर दें ।

टिप्पणी 1:—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि जितनी सेवाओं/पदों के लिए वे चाहते हैं कि उन पर विचार किया जाए उनके अधिमान क्रमों का अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करें । उनको यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे जिन सेवाओं/पदों को चाहते हैं उनका भी उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम से उनके क्रम को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनके अधिमान पर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके ।

टिप्पणी 2:—उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र में सेवाओं पदों के लिए जिस अधिमान क्रम का मूल रूप से उल्लेख किया है उसमें कोई बात जोड़ने या परिवर्तन करने के उस अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जो 30 नवम्बर, 1972 को या इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में न पहुंच जाएगा ।

2. (क) आपात-कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी केवल वर्ग-1 में उल्लिखित श्रेणी-II के सेवाओं पदों में सहायकों के पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ।

(ख) भूतपूर्व सैनिक केवल वर्ग-II से उल्लिखित श्रेणी-III के सेवाओं/पदों में सहायकों के पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

3. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार होगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतने रिक्त स्थान आरक्षित किए जाएंगे जितने भारत सरकार निर्धारित करें ।

अनु० जा०/अनु० आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जाति/आदिम जाति में से किसी एक से है; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) भाग 'ग' राज्य आदेश, 1951, संविधान (अनु० जा०) आदेश, 1950 तथा संविधान अनु० आ० जाति (भाग 'ग' राज्य) आदेश, 1951 संविधान (जम्मू तथा काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा व नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन व दियू) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन व दियू) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनु० आ० जा० आदेश, 1970 ।

4. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-II में निर्धारित विधि से होगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन —

(i) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्हें पहली नवम्बर, 1962 के बाद लेकिन 10 जनवरी, 1968 से पूर्व कमीशन मिला था और इस अधिसूचना की तारीख से पहले सन् 1971 के दौरान निर्मुक्त किए गए हैं, या उसके बाद सन् 1971 की समाप्ति तक निर्मुक्त किए जाने हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

(ii) अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्हें पहली नवम्बर, 1962 के बाद लेकिन 10 जनवरी, 1968 से पूर्व कमीशन मिला था और इस अधिसूचना की तारीख से पहले सन् 1972 के दौरान निर्मुक्त किए गए हैं या उसके बाद निर्मुक्त किए जाने हैं, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी 1:— इन नियमों के प्रयोजन के लिए "निर्मुक्ति" का अभिप्राय:—

(i) निर्मुक्ति के निर्धारित वर्ष के अनुसार निर्मुक्ति,

(ii) सैनिक सेवा के कारण विकलांग होने या सैनिक सेवा द्वारा गम्भीर स्थिति होने के कारण अशक्त होने, और

सशस्त्र सेनाओं से निर्धारित अवधि को सेवा, के बाद निर्मुक्ति से है, और इसका अभिप्राय प्रशिक्षण के दौरान या इसके समाप्त होने के बाद या वास्तविक सेवा में लिए जाने के पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को सम्मिलित करने के लिए प्रदान किए गए अल्पकालीन सेवा कमीशन की अवधि में या इसके समाप्त होने के बाद निर्मुक्ति से नहीं हैं, और न ही इसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारी आते हैं, जो कदाचार या अदक्षता या अपने निजी अनुरोध पर निर्मुक्त किए गए हैं ।

टिप्पणी 2:—"निर्मुक्ति के नियत वर्ष" अभिव्यक्ति का अभिप्राय—

(i) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में उस वर्ष से है, जिसमें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार वे निर्मुक्त किए जाने हैं ।

(ii) अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में उस वर्ष से है जिसमें अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में उनकी, यथास्थिति 3 या 5 वर्ष की सामान्य अवधि समाप्त होनी है ।

टिप्पणी 3:—यदि किसी व्यक्ति को, आवेदन पत्र भेजने के बाद, सशस्त्र सेवाओं में स्थायी आयुक्ति दे दी जाएगी, या वह सशस्त्र सेना से त्याग पत्र दे देगा, या दुर्व्यवहार, अकुशलता के कारण या अपने स्वयं के अनुरोध पर उसे सेवाओं से निर्मुक्त कर दिया जाएगा तो उसका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी,

टिप्पणी 4:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले इंजीनियर और डाक्टर को इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे जिन्हें अनिवार्य सेवा योजना के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में सेवा करनी पड़ती है तथा जिन्हें इस प्रकार की सेवा के दौरान सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत अल्पकालीन सेवा कमीशन दे दिया जाता है ।

टिप्पणी 5:—सशस्त्र सेनाओं के वालंटियर रिजर्व फोर्सेज के अधिकारियों को, जिन्हें अस्थायी सेवा के लिए बुला लिए जाएं, इस परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होंगे ।

6. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन शर्तें पूरी करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिक इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी:—इन नियमों के प्रयोजन के लिए "भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी पद पर (चाहे लड़ाकू के रूप में या अन्य प्रकार से) छह महीने से अन्यून निरन्तर सेवा कर चुका हो, और

(i) कदाचार या अदक्षता के कारण अपदस्थ या सेवोन्मुक्त न होकर निर्मुक्त हुआ हो या ऐसी निर्मुक्ति निलम्बित होने तक आरक्षित सेना में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, या

(ii) जिसे निर्मुक्ति की पात्रता के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि समाप्त करने के लिए छह महीने से अनधिक सेवा करनी हो या ऐसी निर्मुक्ति निलम्बित होने तक आरक्षित सेवा में स्थानान्तरित कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण :—इन नियमों के प्रयोजन के लिए "संघ की सशस्त्र सेनाओं" का अभिप्राय संघ की नौसेना, सेना या वायु सेनाओं से है जिसमें भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनाएं भी सम्मिलित हैं ।

7. (1) उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

[(ख) सिक्किम की प्रजा, या

[(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उगांडा तथा [तंजानियां संयुक्तराष्ट्र राज्य (भूतपूर्वतगानिका तथा जंजीबार) देशों से आया हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

परन्तु यह और भी कि ऊपर की (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य काडर (सहायक) के ग्रेड - 4 में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिए जाने के अधीन अनन्तिम (प्राविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

8. (क) आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारी, जो उपर्युक्त 5 के अनुसार परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है तो यह आवश्यक है कि सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) वाली वर्ष की पहली जनवरी को उसकी आयु पूरे 24 वर्ष न हुई हो,

शर्त यह है कि निम्नलिखित नियम 9(ख) में उल्लिखित विधि अनुसार इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उपर्युक्त तारीख को निम्नलिखित आयु न हुई हो :—

(i) 24 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाता था) अगले वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो,

(ii) 23 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष में निम्नलिखित नियम 9 (क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(iii) 22 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के दूसरे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(iV) 21 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9 (क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(V) 20 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अपना शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के चौथे वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(vi) 19 वर्ष, जबकि सशस्त्र सेनाओं में जाने पर अथवा शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ करना या कमीशन पाने वाले वर्ष के (जब केवल कमीशन पाने के बाद प्रशिक्षण प्रारम्भ करना पड़ता था) अगले वर्ष के पांचप वर्ष में निम्नलिखित नियम 9(क) के अन्तर्गत निर्धारित किसी योग्यता की प्राप्ति के लिए किसी परीक्षा में न बैठ सका हो ।

(ख) कोई भूतपूर्व सैनिक, जो उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार परीक्षा में प्रवेश चाहता है तो यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1972 को उसकी आयु 20 वर्ष हो गयी हो तथा सशस्त्र सेना में कुल सेवा तीन वर्ष जोड़ कर भी 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी :—किसी भूतपूर्व सैनिक की सशस्त्र सेनाओं में "आह्वान पर सेवा" भी उपर्युक्त नियम 8(ख) के लिए सशस्त्र सेनाओं में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(ग) उपर्युक्त सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा और भी छूट के योग्य होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आया वास्तव में विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आया वास्तव में विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ,

(iv) यदि उम्मीदवार भारत श्रीलंका समझौता अक्तूबर, 1964 के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ भारतीय वंशज हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और भारत श्रीलंका समझौता अक्तूबर 1969 के अधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ भारतीय वंशज हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियू संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार केनिया, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तंजानिया तथा जंजीबार) से आया हुआ भारती वंशज हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(viii) यदि उम्मीदवार 1 जून 1969 को या उसके बाद वास्तव में बर्मा से प्रत्यावर्तित हुआ भारतीय वंशज हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद वास्तव में बर्मा से प्रत्यावर्तित हुआ भारतीय वंशज हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं का सैनिक अन्य देश युद्ध में या किसी आक्रान्त क्षेत्र में अशक्त हुआ हो और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किया गया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(xi) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं का सैनिक अन्य देश के साथ युद्ध में या किसी आक्रान्तर क्षेत्र में अशक्त हुआ हो और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किया गया हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक, और

(xii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर तक फ्रेन्च भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक ।

(घ) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उल्लिखित निर्धारित आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो, और सशस्त्र सेनाओं में 1963 में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) तो तीन वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और साथ ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और 1963 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हो या कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों के कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो) तो आठ वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का निवासी है और 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो), तो चार वर्ष, और

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ भारतीय नागरिक हो और 1963 या 1964 या 1965 में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो), तो तीन वर्ष ।

टिप्पणी 1 :—नियम (घ) (i) तथा 8(घ) (ii) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (ii), (iii), (iv), (v) तथा (vi) पर उल्लिखित उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगे ।

टिप्पणी 2 :—नियम 8(घ) (iii) तथा 8(घ)(iv) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (iii), (iv), (v), तथा (vi) पर उल्लिखित उन उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगे जिसने 1963 के बाद कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या जिसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो), ।

नियम 8(घ)(iii) तथा 8(घ) (iv) में विहित उपबन्ध, नियम 8(क) के परन्तुक में क्रम संख्या (ii) पर उल्लिखित उन उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होंगे, जिसने 1964 के बाद कमीशन पूर्व का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया हो या जिसे कमीशन दे दिया गया हो (जिन मामलों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण रहा हो)।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी में छूट नहीं दी जाएगी।

9(क) उपर्युक्त नियम 5 के अनुसार आपातकालीन आयुक्त/अलपकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों को परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट–1 में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए, या उसने परिशिष्ट 1-क में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए ।

बशर्ते कि—

(i) विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त योग्यताओं में से कोई भी योग्यता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षा पास की हो जिसके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझें ।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-1 में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग, यदि उचित समझे तो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है ।

टिप्पणी :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस नियम के उपनियम (क) के अनुसार इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार किसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाय । ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी, और यदि वे उक्त परीक्षा के पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है ।

(ख) यदि कोई उम्मीदवार, जो सशस्त्र सेनाओं में आपात कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त के लिए उम्मीदवार की हैसियत से सेवाओं के प्रवरण बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के दौरान किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, अर्थात् विश्वविद्यालय। इस नियम के उपनियम (क) में निधारित किसी योग्यता के लिए विश्वविद्यालय से समबद्ध विद्यालय, में शैक्षिक अध्ययन कर रहा हो, किन्तु सशस्त्र सेनाओं में जाने के कारण शैक्षिक अध्ययन छोड़ने के कारण कोई अर्हता प्राप्त नहीं कर सका हो तो वह भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

(ग) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार इस परीक्षा में प्रवेश चाहता है, तो उसके पास परिशिष्ट-1 में सम्मिलित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या परिशिष्ट 1-क में उल्लिखित कोई योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए ।

नोट 1 :—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक

(क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जाएगी, और यदि वे उक्त परीक्षा के पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है।

नोट 2 :—विशेष मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, जिसमें कोई भी उपर्युक्त अर्हताएं न हों, शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं में से किसी के द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उस के आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

नोट 3 :—जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हों, जिन्हें परिशिष्ट-1 में शामिल नहीं किया गया हो, वे भी आयोग को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षाओं में बैठने के लिए दो बार से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह प्रतिबन्ध 1971 में होने वाली परीक्षा से गणन किया जाएगा।

11. नियम 5 के अधीन प्रवेश पाने वाले किसी उम्मीदवार को अपनी निर्मुक्ति के वर्ष में और अपनी निर्मुक्ति के वर्ष से अगले वर्ष में ली जाने वाली परीक्षा में क्रमशः अपने पहले और दूसरे अवसरों के रूप में अवश्य बैठना चाहिए।

12. नियम 11 में विहित किसी बात के बावजूद—

(i) सन् 1971 के पूर्व निर्मुक्त कोई आपात-कालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी सन् 1972 में ली जाने वाली परीक्षा में अपने दूसरे अवसर के रूप में बैठ सकता है, और

(ii) यदि कोई आपात कालीन कमीशन प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी, सन् 1971 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र लिए जाने की निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद सैनिक सेवा के कारण विकलांग होने या सैनिक सेवा द्वारा गंभीर स्थिति होने के कारण अशक्त हो गया हो तो सन् 1972 में ली जाने वाली परीक्षा में अपने पहले अवसर के रूप में बैठ सकता है।

टिप्पणी—उपर्युक्त खण्ड (ii) में विहित उपबन्ध उन आपात-कालीन कमीशन-प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा जो सन् 1971 में निर्मुक्त किए जाने थे।

13. ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ii) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से आश्वस्त हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बन्धन से छूट दे सकती है।

14. सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारी उम्मीदवार को इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में भेजने के लिए अपनी यूनिट के कमांडिंग आफिसर को प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार पहले से ही सरकारी सेवा में हो, उसे परीक्षा में बैठने से पहले विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।

15. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन न कर सके। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा ली जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किए जाने की सम्भावना हो।

टिप्पणी :—रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के सम्बन्ध में रक्षा सेवाओं के मैन्य मिघटन मेडीकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

16. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

17. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

18. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

19. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

20. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किए हैं जिनमें कोई हेरफेर किया गया है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई प्रमुख तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में बैठने के लिए किसी और अनियमित या अनुचित तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसे दांडिक अभियोजित (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) किए जाने के अतिरिक्त —

(क) उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए :—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टर-व्यू में शामिल होने से आयोग रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

21. परीक्षा के बाद :—

(क) वर्ग—1 में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की गुणानुक्रम से सूची बनाएगा उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर अर्हक उम्मीदवारों की आयोग नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा,

(ख) वर्ग 2 में सम्मिलित सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से दिए गए कुछ अंकों के आधार पर आयोग उम्मीदवारों की गुणानुक्रम में सूची बनाएगी, और उसी क्रम से परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए निश्चित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जिस उम्मीदवारों को परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त देखेगा, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा,

परन्तु यदि समान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इस सेवा/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

22. (क) यदि परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ग 1 की सेवाओं/पदों में नियुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों और वर्ग 2 के सेवाओं/पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो न भरे गए रिक्त स्थान इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित विधि से भरे जाएंगे।

(ख) यदि सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन-प्राप्त/अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से अधिक हों तो उन उम्मीदवारों के नाम, जो नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे, उस वर्ष से अगले वर्ष/वर्षों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटा में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा-सूची में रखे जाएंगे।

23. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

24. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियों के समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र भरते समय वर्ग (नियम 1 का संदर्भ) में सम्मिलित विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए, जिसके सम्बन्ध में उसे परीक्षा में प्रवेश दिया गया था, बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान दिया जाएगा।

25. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी। यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

26. उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि वे नियत अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक अधिकारी न होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न करलें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाय और परीक्षा पास कर लेने पर या उसके छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से

इस प्रकार नियत किया जाएगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा ।

27. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (बी), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट-3 में संक्षेप में दी गई है ।

एम० के० वासुदेवन,
अवर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(देखिए नियम 9)

भारतीय विश्वविद्यालय :

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से नियमित किया गया हो या अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित किए गए हों ।

बर्मा के विश्व विद्यालय :

रंगून विश्वविद्यालय
मांडले विश्वविद्यालय

इंगलैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय :

बर्मिघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन मैनचरस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

स्काटलैंड के विश्व विद्यालय :

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सेन्ट एन्ड्रस विश्वविद्यालय

आयरलैंड के विश्व विद्यालय :

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज) नेशनल यूनिवर्सिटी आफ आयरलैंड, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्व विद्यालय :

पंजाब विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय, और राजशाही विश्वविद्यालय ।

नेपाल के विश्वविद्यालय :

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू ।

परिशिष्ट 1-क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्यता-प्राप्त योग्यताएं

(देखिए नियम 9)

1. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की "अलंकार पदवी"
2. काशी विद्यापीठ, वाराणसी का "शास्त्री"
3. फ्रांसिसी परीक्षा "प्रापेदलीक" (Propedentique)
4. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद के ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।
5. विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का ग्राम सेवा डिप्लोमा ।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का वाणिज्य में डिप्लोमा ।
7. केन्द्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा ।
8. भारतीय खान विद्यालय धनबाद की खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
9. श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पाण्डिचेरी का "उच्चतर पाठ्यक्रम" यदिपूर्ण छात्र (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।
10. शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या पुराना शास्त्री या सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा हो, अर्थात् वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का वरिष्ठ शास्त्री ।
11. मानवशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में रूस के किसी उच्च शिक्षण संस्थान का समकक्ष स्नातक डिप्लोमा बिना प्रथम वैज्ञानिक निबन्ध के परन्तु राज्य परीक्षाएं की गई हों ।

परिशिष्ट II

1. प्रतियोगिता परीक्षा की रूप रेखा :
   (क) निम्नलिखित पैरा 2 में उल्लिखित तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसके कुल 400 अंक होंगे ।
   (ख) आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में, सशस्त्र सेनाओं में सेवा-रिकार्ड का मूल्यांकन जिसके कुल 100 अंक होंगे ।
2. परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध	100	2 घण्टे
2. सामान्य अंग्रेजी	200	3 घण्टे
3. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है ।	100	2 घण्टे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है ।
4. उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 अथवा दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं । प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना होगा ।

नोट:—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा, उसी प्रश्नपत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं ।

नोट : 2—उक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के खाना 9 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ।

एक बार किया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और इस कालम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक (क्वालीफाइंग अंक) निर्धारित कर सकता है ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1. निबन्ध : दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा ।

2. सामान्य अंग्रेजी

(i) साल्लेखन और मसौदा लेखन :—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे । आम तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण (पैसेजज़) दिए जाएंगे । उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें उस सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए पत्रों ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा ।

(ii) पर्यायों, बिलोमी, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य भूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे ।

(iii) शब्द-भेद (पार्टस आफ स्पीच); वाक्य-विश्लेषण, वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरैक्ट और इन डायरैक्ट स्पीच) ।

नोट :—प्रश्न पत्र 2 में सार लेखन के लिए 75 अंक, मसौदा लेखन के लिए 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे :

प्रश्न पत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है । वाक्य विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक पर ध्यान दिया जाएगा ।

3. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है :-

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पदों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाएंगे । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं ।

परिशिष्ट III

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है

(i) भारतीय विदेश सेवा (बी)

विदेश मंत्रालय में और विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक कांसुली एवं वाणिज्यक दूतावासों में व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सम्मिलित हैं । ग्रेड 4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पद	वेतनमान
ग्रेड—1	मुख्यालय में अवर सचिव, विदेश में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में प्रथम और द्वितीय सचिव ।	रु० 900—50—1250
एकीकृत ग्रेड	मुख्यालयों में सहचारी	रु० 350—25—500
2 औ 3	और अनुभाग अधिकारी/	—30—590—द० रो०
	विदेशों में स्थित दूता-	—30—800—द० रो०
	वासों और केन्द्रों में	30—830—35—900
	उप कांसुल और रजिस्ट्रार	
ग्रेड—4	मुख्यालय में तथा	रु० 210—10—270
	विदेशों में स्थित दूता-	—15—300—द० रो०
	वासों और केन्द्रों में	—15—450—द० रो०
	सहायक ।	—20—530 ।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

(1) सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष)	रु० 1100—50—1300—60—1600—100—1800 ।
(2) ग्रेड 1 (अवर सचिव या समकक्ष)	रु० 900—50—1250 ।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड रु० 350–25–500–30–590 कु० रो०–30–800–कु० रो० –30–830–35–900 ।

(4) सहायक ग्रेड रु० 210–10–270–15–300–कु० रो०–15–450–कु० रो०–20–530 ।

नोट :––जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति किए जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रुपए प्रतिमास वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षावधि को, जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो वे अपनी इस नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश सेवा (बी) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (केडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

टिप्पणी :––एकीकृत ग्रेड II और III में पदोन्नत सहायकों को कम से कम 400 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है ।

2. भारतीय विदेश सेवा (बी) के संवर्ग के ग्रेड 4 (सहायक) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारम्भ में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्त किया जाएगा । फिर भी, वे अन्यथा पात्र होने पर अपनी बारी में, भारतीय विदेश सेवा (बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के अनुसार स्थायी किए जायेंगे, किन्तु यह अभिस्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर होगा । उम्मीदवारों की ग्रेड 4 में नियुक्ति सामान्यता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार की जायगी यदि विदेश सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर उन्हें अस्वीकार न किया गया हो । विदेश सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता को निर्धारण करने के लिए उम्मीदवार को, एक चयन ग्रेड जो विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित किया जाएगा के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा ।

3. भारतीय विदेश सेवा (बी) में सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों । प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षायें पास न करने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन को नौकरी से निकाला जा सकता है ।

4. भारतीय विदेश सेवा (बी) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्त किए जाने का अधिकार नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें भारत अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किया जाय सेवा करने को बाध्य होंगे ।

5. भारतीय विदेश सेवा (बी) के सदस्य जब भारत में सेवा युक्त हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो अन्य केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं । जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त किए जाते हैं तो कुछ रियायतें पाने के हकदार होंगे जैसे––उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित स्केल के अनुसार विदेश भत्ता, निःशुल्क फर्नीचरयुक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता और उनके तथा उनके परिवार इत्यादि के लिए यात्रा भाड़ा इत्यादि किया जाता है । ये रियायतें ऐसे सामान्य निर्णयों के अनुसार जो कि सरकार लेती है वापिस ली जा सकती है, संशोधित की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकती है ।

6. भारतीय विदेश सेवा (बी) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी) (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन भी होंगे जो सेवा पर लागू होने के लिए सरकार भविष्य में बनाए ।

7. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड-4 में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी०) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

टिप्पणी :–भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा बी० के ग्रेड-1 के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा (ए०) के वरिष्ठ वेतन मान में पदोन्नति के लिए 900-50-1000-60-1600-50-1800 के वेतनमान में सीमित कोटा उपलब्ध है ।

(III) रेलवे बोर्ड सचिवालय :

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का सम्बन्ध है, रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 द्वारा नियमित होती हैं, जो मोटे तौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के समान ही हैं ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं:––

(i) प्रवरण ग्रेड : संयुक्त निदेशक/उप सचिव, रेलवे बोर्ड के ग्रेड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किए जाते हैं।	रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800
(ii) (क) उप-निदेशकों का ग्रेड : उप-निदेशक रेलवे बोर्ड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किए जाते हैं।	रु० 900-50-1250 -विशेष वेतन 200 रुपए मासिक
(ख) ग्रेड 1 : सहायक निदेशक और अवर सचिव	रु० 900-50-1250
(iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड:	रु० 350-25-500-30-590-द० रो० -30-800-द० रो० -30-830-35-900
(iv) सहायक ग्रेड :	रु० 210-10-270-15-300- द० रो०-15-450-द० रो०-20-530

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए जाते है उन्हें कम से कम 400 रुपए प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारियों का स्थानान्तरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों को नहीं हो सकता ।

(घ) सहायकों के रूप में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों को सरकारद्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी। यदि प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।

(ङ) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ii) जिस दिन कार्य संभालें उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत निधि में अभिदान करेंगे।

(छ) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा टिकट आदेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ज) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में इन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं:—

(1) वरिष्ठ सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-1)	रु० 1100-50-1400
(2) सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-1)	रु० 740-30-800-50-1150
(3) सहायक सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-II राजपत्रित)	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800
(4) सहायक (श्रेणी-II अराजपत्रित)	रु० 210-10-270-15-300-रो०-15-450-द० रो०-20-530

नोट :—सहायक के ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड पर पदोन्नत होने पर सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 400 रुपए का आरंभिक वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जायगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उनकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को सेवा मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल योजना में शामिल अन्तर सेवा संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

(4) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए है उनका, ऐसी नियुक्त के उपरान्त इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्त अथवा स्थानान्तरण के

लिए इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा ।

(2) **चुनाव अयोग, भारत**

चुनाव आयोग में सहायकों के पद का वेतन मान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों के समान ही रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 है । फिर भी यह पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं है तथा इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग सम्मिलित पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा ।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त किया जा सकेगा ।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर हर प्रकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

4. सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे । इसके आगे दो और ऊंचे ग्रेड है :-

1.	अनुभाग अधिकारी ग्रेड :	रु० 350-25-500 30-590-द० रो०- 30-800-द० रो०- 30-830-35-900 ।
2.	अवर सचिव ग्रेड :	रु० 900-50-1250 ।

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों का वेतनमान रुपए 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 है जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड चार के लिए निर्धारित है । किन्तु ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं हैं और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते ।

सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे, और इस अवधि में उन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी । परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति दिखाने में या परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने का परिणाम सेवा से मुक्ति हो सकता है ।

परिवीक्षा की समाप्ति पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, उसकी नियुक्ति पर पुष्टि कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा अवधि आगे और उस सीमा तक बढ़ायी जा सकती है जितनी कि सरकार आवश्यक समझे ।

समय-समय पर इस विषय में जारी किए जाने वाले नियमों के अधीन, सहायक, सहायक निदेशक (प्रशासन) के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति का पात्र होगा जिसका वेतनमान रूपए 400-25-500-30-590-द० रो० 30-800 है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर 1971

संकल्प

सं० 07011/1/70-साल्ट—इस मंत्रालय के इसी संख्या वाले संकल्प दिनांक 9 जुलाई, 1971 जो नमक की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सलाहकार परिषद का पुर्नगठन करने के बारे में है, में आंशिक रूप-भेद करते हुए, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की प्रदेशिक सलाहकार परिषद में स्वर्गीय श्री एम० यूसुफ के स्थान पर डा० पी० वी० जगन्नाथ राव बेरहामपुर (उड़ीसा) को नामित करने का निश्चय किया है ।

2. उक्त संकल्प के पैरा 3 (1) क्र० सं० (7) में उल्लिखित 'उप नमक आयुक्त, बम्बई' शब्द के स्थान पर 'उप नमक आयुक्त जयपुर' रखा जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवम् प्रधान मंत्री के सचिवालय को भेजा जाएगा ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में प्रकाशित किया जाए ।

आई० वी० चुनकत, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1971

सं० 71/आर०ई०/161/9—सभी सम्बन्धित की आम जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर रेलवे द्वारा फफूंद रेलवे स्टेशन (किलोमीटर 110042) से इटावा रेलवे सब-स्टेशन (किलोमीटर 1157.50) तक डाली गई 132 किलोवोल्ट की डबल सर्किट संचारण लाइन में, जो कि रेल पथ के समानान्तर चलती है और निकटवर्ती गावों के पास से होकर निकलती है, 25-11-71 से 132 किलोवोल्ट ऐसी 50 साइकिल प्रति सेकण्ड की बिजली संचारित कर दी जायेगी । उसी तारीख से ऊपरी संचारण लाइन को हर समय बिजली-युक्त माना जायेगा और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति न तो उस ऊपरी लाइन के पास जायेगा और न उसके आसपास काम करेगा ।

वेद प्रकाश साहनी, सचिव
रेलवे बोर्ड

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
श्रम और रोजगार विभाग
रा० प्रा० महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 1971

सं० ई ई1-3(1)/71—श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) की अधिसूचना संख्या ईई 1-3 (8)/69, दिनांक 7 जुलाई 70 का आंशिक संशोधन करते हुए श्री राम धन के स्थान पर लोकसभा की सदस्या श्रीमती सावित्री श्याम को, केन्द्रीय रोजगार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया ।

ग० जगन्नाथ, उप-सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 11th December 1971

RULES

No. 6/54/71-*CS(I)*.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1972 for selection of (1) Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November 1962 but before 10th January, 1968 and (2) Ex-Servicemen. for the purpose of filling vacancies reserved for them in the services/posts covered by Category I and Category II respectively, as follows are published for general information :—

Category I

Class II Services/posts

(i) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Central Secretariat Service—Assistants Grade;

(iii) Armed Forces Headquarters Civil Service Assistants Grade;

(iv) Posts of Assistant in the office of the Election Commission, Delhi;

(v) Posts of Assistant in the Central Vigilance Commission, Delhi.

(vi) Posts of Assistant in the Department of Parliamentary Affairs, Delhi;

(vii) Posts of Assistant in the Department of Tourism. Delhi; and

(viii) Posts of Assistant in other departments and Attached Offices of the Government of India not included in the I.F.S.(B)/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service,

Category II

Class III Services/Posts

(i) Railway Board Secretariat Service—Grade IV (Assistants);

(ii) Posts of Assistant in the Directorate General Research. Designs & Standards Organisation: Lucknow; and

(iii) Posts of Assistant in other departments and Attached Offices of the Government of India not included in the Railway Board Secretariat Service.

Subjects to the provisions of rule 2, a candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of those Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B. I.—Candidates are required to specify clearly in their applications the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. They are advised to indicate as many Services/posts as they wish to so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. II.—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before, 30th November, 1972.

2. (a) Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers will be eligible to compete only for vacancies reserved for them in the posts of Assistants in Class II Services/posts included in Category I.

(b) Ex-Servicemen will be eligible to compete only for vacancies for them in the posts of Assistants in Class III Services/posts included in Category II.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. the Constitution (Scheduled Castes). (Part 'C' States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modifications) Order 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order. 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa. Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. Subject to the provisions of these Rules,

(i) Emergency Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968 and who have been released during 1971 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1971, will be eligible to appear at the examination,

(ii) Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968 and who have been released during 1971 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1972 will be eligible to appear at the examination.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, "release" means :

(i) release as per the Scheduled year of release.

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service,

From the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training. or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers, the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years, as the case may be, as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person is liable to be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 5.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to the examination.

6. Subject to the provisions of these Rules, all Ex-Servicemen will be eligible to appear at this examination.

NOTE.—For the purpose of these rules, "Ex-serviceman" means a person who has served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months and,—

(i) has been released, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transfererd to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid.

Explanation.—For the purpose of these Rules, "Armed Forces of the Union" means the Naval, Military or Air Forces of the Union and includes the Armed Forces of the Former Indian States.

7. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India: or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Grade IV of the General Cadre (Assistant) of the Indian Foreign Service (B).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

8. (A) An Emergency Commisisoned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under Rule 5 above, must not have attained the age of 24 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-Commisison training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

Provided that a candidate applying for admission to this examination under Rule 9(b) below must not have attained on the aforesaid date the age of :—

(i) 24 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commisison (where there was only post-Commission training);

(ii) 23 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(iii) 22 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the second year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(iv) 21 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the third year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training):

(v) 20 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the fourth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training): and

(vi) 19 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the fifth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training).

(B) An Ex-Serviceman seeking admission to the examination under rule 6 above, must have attained on 1st January, 1972, the age of 20 years and must not have attained an age exceeding 24 years by more than his total service in the Armed Forces increased by three years.

NOTE.—The period of "call up service" of an ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 8(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964:

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st January, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964:

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and;

(xii) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

(D) The age limit prescribed in sub-para (A) above will also be relaxable :—

(i) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan.

(ii) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(iii) up to a maximum of four years, if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(iv) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon.

NOTE 1.—The provisions contained in rule 8(D)(i) and 8(D)(iv) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 8(A).

NOTE 2.—The provisions contained in rule 8(D)(ii) and 8(D)(iv) will not apply to candidates mentioned at Sl Nos. (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 8(A) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1963.

The provisions contained in rule 8(D)(iii) and 8(D)(iv) will not apply to candidates mentioned at Sl. No. (ii) in proviso to Rule 8(A) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1964.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

9. (a) An Emergency Commissioned Officer/Short Service Commissioned Officer seeking admission to the examination under Rule 5 above, must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Provided that—

(i) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate if he has passed examinations conducted by other institution, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

(ii) a candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination *vide* Sub-Rule (a) of this Rule, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

(b) A candidate who, when he appeared before a Services Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission/Short Service Commission in the Armed Forces was studying in a recognised institution, *e.g.*, a university/an institution affiliated to a university for the award of any of the qualifications prescribed in sub-Rule (a) of this Rule, but who having discontinued his studies because of joining the Armed Forces, had not acquired such qualification will also be eligible to appear at the examination.

(c) An *Ex*-Serviceman seeking admission to the examination under Rule 6 above must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Union Public Service Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Union Public Service Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Union Public Service Commission.

10. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination to be held in 1971.

11. A candidate seeking admission under Rule 5 must take the examinations, held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

12. Notwithstanding anything contained in Rule 11—

(i) an EC/SSC officer released prior to 1971 may take the examination to be held in 1972 as his second chance; and

(ii) an EC/SSC officer inviladid owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1971, after the closing date prescribed for receipts of applications for the 1971 examination may take the examination to be held in 1972, as his first chance.

NOTE—The provisions contained in clause (ii) above will not apply to EC/SSC officers who were due for release in 1971.

13. No person

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

14. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding of his unit who will forward it to the Union Public Service Commission.

All other candidates in Government service must submit their applications for this examination to their Head of Department or office concerned who will forward it to the Union Public Service Commission.

15. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

17. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

18. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

19. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

20. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have tampered with or of making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution :—

(a) be debarred permanently or for a specified period :

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

21. After the examination—

(a) the candidates competing for Services/posts included in Category I will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment; and

(b) the candidates competing for Services/posts included in Category II will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment with due regard to the number of vacancies available to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

22. (a) If on the result of the examination a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Service Commissioned Officers in Category I Services/posts and for *Ex*-Servicemen in Category II Services/posts, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s).

23. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

24. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of this examination to the preferences expressed by a candidate for the various Services/posts included in the Category (c.f. Rule 1) in respect of which the has been admitted to the examination.

25. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

26. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

27. Conditions of Service for Assistants' in the Central Secretariat Service, Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Armed Forces Headquarters Civil Service, the posts of Assistants' in the Election Commission of India and the Department of Tourism, are briefly stated in Appendix III.

M. K. VASUDEVAN,
Under Secretary

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (*Vide* Rule 9)

Indian Universities

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

Universities in Burma

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glassgow and St. Andrews.

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Ireland. The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab. The Dacca University. The University of Sind. The Raishahi University.

University in Nepal

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (*Vide* Rule 9).

1. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.
3. French Examination "Propedeutique".
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharti University.
6. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.
7. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.
8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
9. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.
10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects *i.e.* Varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Viswa-Vidyalaya, Varanasi.
11. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

APPENDIX II

1. The competitive examination comprises :

(a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 400 marks.

(b) Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces in the case of Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers. carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the examination the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

	Max. Marks	*Time Allowed*
1. Eassy	100	2 hours
2. General English ..	200	3 hours
3. General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or both, either in Hindi or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so in col. 9 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed to help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) General English :

(i) Precis writing and drafting : Questions to test the understanding and power to write English, Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language.

(3) General Knowledge including Geography of India : Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

1. (i) *Indian Foreign Service (B)*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Foreign Trade, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The

various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) excluding Grades lower than Grade IV are as follows :—

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs. 900-50-1250.
Integrated Grade II and III	Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice-consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad.	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

NOTE.—Assistants promoted to the Integrated Grade II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

2. Candidates selected for Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the IFS(B) will be appointed initially against temporary vacancies. They will, however, be confirmed, if otherwise eligible, in their turn in accordance with the Indian Foreign Service 'B' (Recruitment Cadre seniority and Promotion) Rules, 1964, depending on the availability of substantive vacancies. Appointment to Grade IV, will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service, and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to serve in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S.(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B), (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE.—In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior Scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 900—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

(ii) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)=Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600—100—1,800.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent)=Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers Grade=Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistant Grade=Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(iii) *Railway Board Secretariat Service*

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as Recruitment, Training, promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Service Rults, 1969, which are broadly similar to the Central Secretariat Service Rules, 1962.

(b) The Railway Board Service consists of the following grades :

(*i*) Selection Grade : such posts in the grade of Joint Directors/Dy. Secretary Railway Board as may from time to time be held by officers of the Railway Board Secretariat Service.	Rs.	1100-50-1300-60-1600-100-1800.
(*ii*)(*a*) Dy. Directors Grade such posts of Dy. Directors, Railway Board as may from time to time be held of Officers of the Railway Board Secretariat Service.	Rs.	900-50-1250 plus special pay of Rs. 200/- p. m.
(*b*) Grade I : Assistant Directors & Under Secretaries.	Rs.	900-50-1250
(*iii*) Section Officer Grade	Rs.	350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900.
(*iv*) Assistants Grade	Rs.	210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

(c) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(d) Officer recruited direct as Assistants will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge from the service.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(g) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(h) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service.*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

(1) Senior Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 1,100—50—1,400.

(2) Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 740—30—800—50—1,150.

(3) Assistant Civilian Staff Officer (Class II—Gazetted)—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

(4) Assistant (Class II—Non-gazetted)—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400 in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmentals tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grades of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.]

(2) *Election Commission, India.*

The posts of Assistants in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

(1) *Section Officers' Grade*—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(2) *Under Secretary's Grade*—Rs. 900—50—1,250.

(3) *Department of Tourism.*

The posts of Assistants in the Department of Tourism carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 as prescribed for Grade IV of the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the C.S.S. Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to the posts included in the cadre of the C.S.S.

The persons recruited direct as assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government from time to time. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in the discharge of the probationer from service.

On completion of the probation, the Government may confirm the probationer in his appointment, or if his work or conduct, has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as the Government may consider necessary.

Assistants will be eligible for promotion to higher grade of Assistant Director (Administration) in the pay scale of Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800 in accordance will the rules in force from time to time in this behalf.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 30th October 1971

No. 07011/1/70-*Salt.*—In partial modification of this Ministry's Resolution of even No. dated the 9th July, 1971 reconstituting the Central and Regional Advisory Boards for Salt, Government of India have decided to nominate Dr. P. V. Jagannath Rao, Berhampur (Orissa) *vice* late Shri M. Yusuf on the West Bengal and Orissa Regional Advisory Board.

2. For the words 'Deputy Salt Commissioner, Bombay' occuring in para 3(i) S. No. (vii) of the said Resolution, *substitute*, 'Deputy Salt Commissioner, Jaipur'.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Secretariat.

2. ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

I. V. CHUNKATH, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 23th November 1971

No. 71/*RE*/161/9.—It is hereby notified for the general information of all concerned that the 132 KV double circuit transmission line constructed by Northern Railway starting from Phaphund [Railway Station (Km. 1100.42) to Etawah Railway Sub-station (Km. 1157.50)] running parallel to the railway track and by the vicinity of the nearby villages will be energised. on 132 KV AC 50 cycle per second on and after 25-11-1971. On and from the same date the overhead transmission line shall be treated as live at all times and no unauthorised person shall approach or work in the proximity of the said overhead line.

V. P. SAWHNEY, Secy. Rly. Board

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

(Director General Employment & Training)

New Delhi, the 1st November 1971

No. EEI-3(1)/71.—In partial modification of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour & Employment (Directorate General of Employment & Training) Notification No. EEI-3(8)/69, dated the 7th July, 1970, Shrimati Savitri Shyam, Member, Lok Sabha, is appointed as a Member of the Central Committee on Employment *vice* Shri Ram Dhan.

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971